न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 34/2018 G.C.M.S. No. 2018/00198 दर्ज दिनांक : 21.06.2018

अपीलार्थी:

1. सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण, जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सिद्धिविनायक सीमेंट उद्योग लिमिटेड मेसर्स चिमनभाई पुत्र पोपटभाई रफालिया हाल निम्बोल
2. मेसर्स ब्रिज एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 90 बी. बी. एस.पी. मुकर्जी रोड़ कलकता जरिये लक्ष्मणभाई पुत्र मोहनभाई सोजीतरा
3. जीवाभाई पुत्र कृष्णभाई कौम वणकार सा. धुरिया आगरिया तह. राजोला जिला अमरेली, गुजरात
4. तेजाभाई पुत्र जेठाभाई कौम वणकार सा. धुरिया आगरिया, राजोला जिला अमरेली, गुजरात
5. ढगलाई पत्नि शंकर (लाऔलाद, फौत, विलोपित)
6. पुष्पादेवी पुत्री मांगू कौम ढोली निवासी निम्बोल तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 85/2016 बअनवान राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जैतारण बनाम सिद्धिविनायक सीमेंट उद्योग लिमिटेड वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.11.2017 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. राजकीय अभिभाषक, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सुरेश चौधरी, श्री श्यामसिंह सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 4
3. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री भरतसिंह चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 6

निर्णय

दिनांक: 20.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 85/2016 बअनवान राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जैतारण बनाम सिद्धिविनायक सीमेंट उद्योग लिमिटेड वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कि सरहद मौजा निम्बोल तहसील जैतारण के ख.न. 420 रकबा 6-11 बीघा भूमि की सायल सं. 5 व 6 तहसील जैतारण जिला पाली वाला मूल खातेदार थी। जमाबन्दी संवत 2057 2060 की खतोनी के खाता सं. 207 संवत 2061 2064 में खाता सं. 232 एवं 2065 से 2068 का खतोनी के खाता सं. 233 में भी गैर सायल सं. 5 व 6 का नाम दर्ज था। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(ख) के प्रावधानो मे आवश्यक संशोधन कर परिपत्र क्रमांक 3 (6) राज/8/09 दिनांक 11.02.2009 को जारी किया गया। इस परिपत्र मे उल्लेखित किया गया कि राजस्थान राज्य का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को किया जाता है तो वह धारा 42(ख) का उल्लंघन है। परिपत्र के जारी दिनांक 11.02.2009 के पश्चात ऐसे बेचान अवैद्य माने जायेगे तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (ख) का उल्लघन होने से हस्तान्तरण शुरू से ही शून्य हो जायेगा। अपीलान्ट को इसकी जानकारी दिनांक 27.06.2015 को हुई। इसके पश्चात राज्य ७ सरकार के परिपत्र दिनांक 11.02. 2009 से सम्बन्धित प्रकरणों को चिन्हित कर उनके प्रकरण तैयार कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी महोदय जैतारण के न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाये गये। दर्ज प्रकरणों में से किसी में भी अपीलान्ट तहसीलदार (भूमिधारी) का पक्ष सुने बिना राज्य हित के विरूद्ध एक ही दिन में न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय जैतारण द्वारा दिनांक 22.11.2017 को निर्णय पारित कर दिया गया। ऐसे सभी दर्ज प्रकरणों में रेस्पोडेन्ट पक्षकारान में से एक ही पार्टी सिद्धि विनायक सीमेन्ट उद्योग लि० कम्पनी के पक्ष में अन्य रेस्पोडेन्ट पक्षकारो को भी बिना सुने न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये गये। जो न्यायहित में उचित नहीं है। राज्य सरकार की ओर से अपीलान्ट भूमिधारी द्वारा जिस परिपत्र के परिक्षेप्य में जो प्रकरण दर्ज करवाया गया। उसमें स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 राजस्थान राज्य का मूल निवासी है तथा अनूसूचित जाति की खातेदार काश्तकार है। इनके द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 जो गुजरात राज्य का निवासी है उनको उक्त भूमि का बैचान दिनांक किया गया है। जो राजस्थान राज्य के बाहर के निवासी है। अतः राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(6) राज/6/09 दिनांक 11.02.2009 में उल्लेखित शर्तों के मुताबिक इनको बैचान करना अवैद्य है। इससे राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (ख) का उल्लंघन है। उक्त बैचान को निरस्त करना कर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में सिवायचक घोषित की जावें। तत्पश्चात भी हुये बेचान/ हस्तान्तरणों को भी अवैद्य एवं शून्य घोषित किया जाकर वर्तमान में मौके पर कब्जाधारी सिद्धि विनायक सीमेन्ट प्रा० लि० को बेदखल किया जावे एवं कब्जा बहक राज लिये जाने के आदेश प्रसारित किये जावे। उक्त हस्तान्तरण शुरू से ही शून्य होने से सक्षम न्यायालय (सहायक कलेक्टर जैतारण) में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें बखूबी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

दस्तावेज से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा राजस्थान से बाहर के अदेय राज्य के व्यक्ति को बेचान/हस्तान्तारण किया गया उक्त बेचान/हस्तान्तारण अवैध है जिसमे परिपत्र के निर्देशानुसार भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (ख) का उल्लंघन होता है फिर भी न्यायालय द्वारा प्रकरण के मूल तथ्यों के विपरीत जाकर तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए सरकार के खिलाफ एक पार्टी विशेष सीमेन्ट उद्योग को नाजायज फायदा पहुंचाने हेतु राज्य सरकार के परिपत्र के निर्देशों के विपरीत सहायक कलेक्टर महोदय जैतारण द्वारा निर्णय पारित किया गया। जिसे निरस्त फरमाया जाये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार जैतारण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात जोकि राजस्थान राज्य के निवासी अनुसूचित जाति के खातेदारान की खातेदारी आराजी थीं, का विक्रय राजस्थान राज्य को छोड़कर अन्य राज्य गुजरात के निवासी है, को विक्रय कर देने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42बी का उल्लंघन होने के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 ए, डी सीपीसी के अंतर्गत पारित निर्णय दिनांक 22.11.2017 द्वारा प्रकरण बार्ड बाई लॉ होने के आधार पर खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध तहसीलदार जैतारण द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट तहसीलदार जैतारण द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरकार के विरूद्ध पारित निर्णय की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई तथा इसी जानकारी दिनांक 28.02.2018 को राजस्व अधिकारियों की बैठक में होने पर नकल आदि प्राप्त कर अविलंब अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। प्रकरण में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गुणावगुण व विधिक विवेचना से संबंधित सारवान प्रश्न विद्यमान है। साथ ही तहसीलदार जैतारण द्वारा अपीलाधीन निर्णय के संबंध में अपील/नो अपील हेतु जिला कलक्टर पाली से निवेदन किया गया। जिस पर जिला कलक्टर पाली द्वारा दिनांक 23.05.2018 को तहसीलदार जैतारण को निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.05.2018 को हस्तगत अपील प्रस्तुत कर दी गई। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रकरण में समुचित तत्परता बरती गई हैं तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता से होना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2015 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से दिनांक 01.12.2016 को अधिवक्ता द्वारा अंडरटेकिंग लिए जाने तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 ए, डी सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात का आगे से आगे पंजीबद्ध विक्रय–विलेख से हस्तांतरण होते हुए मैसर्स सिद्धिविनायक सीमेंट द्वारा खरीदा गया। जिसका औद्योगिक प्रयोजनार्थ सीमेंट उद्योग हेतु भू–रूपांतरण हो चुका है तथा उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं रही हैं। वादग्रस्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 (24) के अंतर्गत कृषि भूमि के अंतर्गत नहीं आती हैं। जोकि अधिनियम की धारा 207 के तहत राजस्व न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य नहीं हैं। अतः कार्यवाही बार्ड बाई लॉ होने व सायल को गैरसायल के विरूद्ध कोई बिनायवाद प्राप्त नहीं होने से खारिज फरमावें।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलाधीन आदेश द्वारा अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं होकर औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हो जाने तथा संपरिवर्तित भूमियों का अनुसूचित जाति से गैर अनुसूचित जाति को अंतरण धारा 42बी के तहत वर्जित नहीं होने का अंकन करते हुए प्रार्थना पत्र बार्ड बाई लॉ अंकित करते हुए खारिज किया गया है।

6. हमारे विनम्र मत में यह स्वीकृत स्थिति है कि राजस्थान के निवासी अनुसूचित जाति वर्ग के खातेदार द्वारा धारित कृषि भूमि का राजस्थान राज्य के गैर अनुसूचित जातिवर्ग के व्यक्ति या राजस्थान राज्य के बाहर के किसी भी वर्ग के व्यक्ति को अंतरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42बी के अंतर्गत वर्जित है तथा धारा 42बी के उल्लंघन के प्रकरणों में संबंधित तहसीलदार द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर में धारा 175 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। अधिनियम की तृतीय अनुसूची के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अंतर्गत ऐसे प्रकरणों के लिए परिसीमा अवधि 30 साल निर्धारित है तथा विचारण का एकमात्र क्षेत्राधिकार न्यायालय सहायक कलक्टर होता है।

7. भूमिधारी तहसीलदार जैतारण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.10.2015 को धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि ग्राम निम्बोल में खसरा संख्या 420 रकबा 6–11 बीघा किस्म बारानी दोयम के मूल खातेदार अप्रार्थी संख्या 5 व 6 थें। जो जमाबंदी संवत 2065 से 2068 एवं इससे पूर्व की जमाबंदियों में दर्ज है। गैर सायल संख्या 5 व 6 राजस्थान राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति के खातेदार है। जिन्होंने वादग्रस्त आराजी गैरसायल संख्या 3 व 4 जो गुजरात राज्य के निवासी है, को बेचान कर दिया गया। जो विधि वर्जित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42बी के अनुसार एवं इसमें आवश्यक संशोधन तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 11.02.2009 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य के व्यक्तियों को बेचान धारा 42 का उल्लंघन है। क्रेतागण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपांतरण भी करवा लिया गया है। जो काबिल निरस्त है। अतः गैर सायल संख्या 1 को बेदखल कर खसरा संख्या 420 रकबा 6–11 बीघा को सिवायचक करने का आदेश करावें।

8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर में प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थना पत्र के रूप में होता है तथा धारा 175 (4) के अनुसार यदि नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर विपक्षी पक्ष उपस्थित होता है एवं बेदखल किए जाने के दायित्व का विरोध करता है तो ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र वादपत्र के रूप में समझा जाता है। हस्तगत प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2015 को प्रकरण प्रार्थना पत्र के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 15.12.2015 को पत्रावली नियत करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। दिनांक 15.12.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चौधरी द्वारा अंडरटेकिंग ली गई। दिनांक 01.12.2016 को अधिवक्ता श्री सुरेश चौधरी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से वकालतनामा पेश करने की अंडरटेकिंग ली गई तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया। आदेशिका दिनांक 04.01.2017 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश होने का अंकन है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वकालतनामा उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार धारा 175 के प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा न तो जवाब प्रस्तुत किया गया एवं न ही उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया। बल्कि सीधे ही आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा धारा 175 के प्रार्थना पत्र का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं प्रार्थना पत्र का विरोध नहीं करने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र वादपत्र के रूप में नहीं समझा जा सकता। बल्कि प्रार्थना पत्र के रूप में ही विचाराधीन था। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान प्रार्थना पत्रों पर लागू नहीं होकर केवल वादपत्रों पर लागू होते हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण विधिक स्थिति पर गौर किए बिना अपीलाधीन निर्णय द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के जैरकार प्रार्थना पत्र को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत खारिज कर कानूनन भूल की हैं। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं।

9. यह उल्लेखनीय है कि आदेश 7 नियम 11 के प्रकरण में केवल वादपत्र का अवलोकन अनुमत है तथा वादपत्र के अवलोकन मात्र से यदि वादपत्र विधि द्वारा वर्जित हो या वादकारण उल्लेखित नहीं हों या उत्पन्न नहीं हों या वादपत्र समुचित शुल्क पर प्रस्तुत नहीं किया गया हों या वाद दो प्रतियों में दाखिल नहीं हों या वाद नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता हों तो ऐसी स्थिति में वादपत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 175 का प्रकरण आदेश 7 नियम 11 क व घ के अंतर्गत वाद हैतुक प्रकट नहीं होने तथा वाद विधि द्वारा वर्जित होना मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के उल्लंघन की दशा में धारा 175 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जब वादपत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है तो ऐसे वादपत्र के लिए वादकारण धारा 42 के उल्लंघन होने की घटना/कार्यवाही वादकारण होती हैं तथा वादकारण घटित होने की दिनांक उक्त घटना/कार्यवाही घटित होने की दिनांक से आरंभ होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार जैतारण द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 420 जोकि कृषि भूमि थीं तथा राजस्थान राज्य के निवासी अनुसूचित जाति वर्ग के काश्तकार की खातेदारी आराजी थीं। जिसके द्वारा राजस्थान राज्य के बाहर के व्यक्ति जो राजस्थान राज्य के लिए अनुसूचित जाति वर्ग की श्रेणी में नहीं माना जाता। अर्थात गैर अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को पंजीकृत बेचान से अंतरित की गई, को आधार मानते हुए इसी आधार पर धारा 42 का उल्लंघन होने पर धारा 175 के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी द्वारा मुख्य रूप से यह आक्षेप लिया गया कि उक्त अंतरण के पश्चात अन्य अंतरण होकर भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरित हो गई। जिससे वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं रहने से राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में नहीं रह गई। हमारे विनम्र मत में उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। क्योंकि वादकारण के लिए मूल घटना अनुसूचित जाति वर्ग के काश्तकार द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किया गया प्रथम अंतरण है। जोकि कृषि भूमि का किया गया। पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाही उक्त मूल घटना से आच्छादित व इस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आधारित है। अतः पश्चातवर्ती कार्यवाही के रूप में संपरिवर्तन हो जाने मात्र से धारा 42 बी का उल्लंघन समाप्त नहीं हो जाता तथा न ही धारा 175 के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तुत करने तथा ऐसे प्रकरणों को न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा विचारण करने में कोई विधिक वर्जना नहीं हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी द्वारा आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में उठाए गए आक्षेप व लिए गए उज्र तथ्य व विधि का मिश्रित प्रश्न है। जिनका निस्तारण साक्ष्य उपरांत ही गुणावगुण के आधार पर किया जा सकता है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सारहीन है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से काबिल अपास्त है एवं अपील अपीलांट बखूबी साबित होती हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 85/2016 बअनवान राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जैतारण बनाम सिद्धिविनायक सीमेंट उद्योग लिमिटेड वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.11.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए, जवाब प्रस्तुत होने व प्रकरण का विरोध किये जाने की दशा में प्रार्थना पत्र को वादपत्र के रूप में परिवर्तित मानते हुए दावा व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक कायम कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए वादपत्र अंतिम रूप से विधिनुरूप निर्णित करें, तथा जवाब प्रस्तुत नहीं होने की दशा में प्रार्थना पत्र के रूप में विधिनुरूप निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये पैरोकार पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 30.03.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण जिला ब्यावर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner